Rajasthan Technical University, Kota
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
Rawatbhata Road, Akelgarh Kota – 324010
Ph No.-0744-2473003, Fax No. 0744-2473003, E-mail ID: gad@rtu.ac.in

RTU/F(62)/GAD/04/Security Services/2025-26/ 913 Dated: 09/5/25

NIB No.01/2025-26

Open Competitive E-Bidding Notice

Rajasthan Technical University (RTU), Kota invites E-Bids under Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 & Rules, 2013 for the **"Hiring of Security Guards (Without Armed)"** from the reputed & registered bidders fulfilling eligibility criteria as described in the bid document as appended below:-

S. No.	Name of goods/ services	Estimated Cost	Tender Fee	Bid Security	RISL Fee	Date & time of Availability of E-Bid	Last Date & time of submission of E-Bid	Date & time of opening of Technical E-Bid
1.	Hiring of Security Guards (Without Armed)	Rs. 30.00 Lacs	Rs. 1000 + GST 18% Rs. 1180	Rs. 60000	Rs. 500	From 09.05.2025 (10:00 AM)	19.05.2025 up to 5:00 PM	20.05.2025 at 04:00 PM

Instructions to Bidders:-

1. The detailed scope of work as well as terms and conditions for **Hiring of Security Guards (Without Armed)** has given in the BID documents, which may be downloaded from www.eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in or University website www.rtu.ac.in.
2. Bidders can participate in the Tendering Process only Online using www.eproc.rajasthan.gov.in website, Bidders should have a valid DSC before bidding.
3. The Interested bidders may submit their on-line bids along with separate Demand Drafts drawn in favour of "Rajasthan Technical University, Kota, payable at Kota" towards the cost of Bid Security & Bid Fee (non-refundable) and RISL Processing Fee (Non-refundable) demand draft shall be in favour of "Managing Director, RISL" payable at Jaipur.
4. **The above demand drafts must reach physically in the office of Registrar (Procurement Entity), RTU Kota in sealed envelope titled "Hiring of Security Guards (Without Armed)" latest by 20.05.2025 (Upto 12:00 Noon), failing which bids shall not be considered.**
5. Bidders, having digital signature certificate (DSC) as per IT Act, 2000 to sign their electronic Bids, shall submit their offer on-line on www.eproc.rajasthan.gov.in with in stipulated time and date mentioned herein above. Bids shall not be accepted personally.
6. The Bids will be opened on the same date and time before purchase committee in the presence of bidder or their authorized representative who may be present.
7. In the event of the specified dates being a holiday, the activities assigned on that date may be carried out on next working day on the same time.
8. RTU, Kota is not bound to accept the lowest bid and may reject any bid or any part of the bid without assigning any reason thereof.
9. Bids received after the prescribed time and date will not be considered.
10. The bidders shall have to submit GST Registration Number along with copy of the same without which the bids will not be considered.
11. Validity: - 90 days from the opening of Technical bid.
12. In case of any query, the undersigned (Procurement Entity) may be contacted at 0744-2473003 or e-mail at gad@rtu.ac.in.
13. Corrigendum, if any will be published on these websites only.

Registrar

Rajasthan Technical University, Kota
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
Rawatbhata Road, Akelgarh Kota – 324010
Ph No. 0744-2473003, Fax No. 0744-2473003, E-mail ID: god@rtu.ac.in

NIB No. 01../2025-26

तकनीकी बोली प्रपत्र–(पार्ट–अ)

उपापन की विषय वस्तु : सुरक्षा गार्ड (हथियार रहित) की सेवायें हायर करने की दर संविदा हेतु ई–निविदा प्रपत्र

निविदा भरने का प्रकार– निविदा ऑनलाइन ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल www.eproc.rajasthan.gov.in **पर भरी जाएगी।**

1.	बोलीदाता/संवेदक फर्म का नाम (पहचान पत्र की स्कैन प्रति ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड करें)	
	पत्राचार हेतु पूर्ण पता मय पिन कोड	
	दूरभाष न0 व ई–मेल का पता	
	प्रोपराईटर/अधिकृत प्रतिनिधि का नाम, दूरभाष न./ई–मेल आईडी, जिससे सम्पर्क किया जा सके।	
2.	निविदा शुल्क (राशि रूपये 1000+ GST 18% Rs. 1180) का विवरण **(डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक की स्कैन प्रति ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड करें) डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के नाम होगा।**	डीडी नं. ..... राशि रूपये 1180/– दिनांक ..... बैंक का नाम .....
	R.I.S.L. प्रोसेसिंग फीस (राशि रूपये 500/–) **(डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक की स्कैन प्रति ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड करें) डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक मैनेजिंग डायरेक्टर, आर.आई.एस.एल. जयपुर के नाम होगा।**	डीडी नं. ..... राशि रूपये 500/– दिनांक ..... बैंक का नाम .....
	धरोहर राशि (राशि रूपये 60000/–) का विवरण **(डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक की स्कैन प्रति ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड करें) डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के नाम होगा।**	डीडी नं. ..... राशि रूपये 60000/– दिनांक ..... बैंक का नाम .....

3. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में भरना होगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित स्कैन प्रतियां ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड करनी होगी:–

क्र. सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	निजी सुरक्षा एजेंसियां (विनियमन) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जारी वैध लाइसेंस, जो 31 मार्च 2025 तक वैलिड हो, की स्वहस्ताक्षरित स्कैन प्रति ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड करें।				
2.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 के अंतर्गत पंजीकरण की स्वहस्ताक्षरित स्कैन प्रति ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड करें।				
3.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अंतर्गत पंजीकरण की स्वहस्ताक्षरित स्कैन प्रति ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड करें।				
4.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकरण की स्वहस्ताक्षरित स्कैन प्रति ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड करें।				

	5.	वस्तु एवं सेवाकर (GST) के अंतर्गत पंजीकरण की स्वहस्ताक्षरित स्कैन प्रति ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड करें।				
	6.	आयकर (पैन नम्बर) की स्वहस्ताक्षरित स्कैन प्रति ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड करें।				
	7.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 **या** इण्डियन पार्टनर्शिप एक्ट 1932 के अंतर्गत **या** इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अंतर्गत पंजीकरण की स्वहस्ताक्षरित स्कैन प्रति ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड करें।				
4.	**टर्न ओवरः**–बोलीदाता/संवेदक का गत तीन वित्तीय वर्षो 2021–22, 2021–22,एवं 2023–24 का वार्षिक औसत टर्न ओवर राशी रुपए 30.00 लाख से अधिक होना चाहिए। इस हेतु निविदादाता को सनदी लेखाकार से वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र **प्रपत्र–'स'** एवं अंकेक्षित/प्रमाणित दस्तावेज Balance Sheet and Profit and Loss A/c, Income-Expenditure A/c आदि अनिवार्य रूप से ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड करें।			वार्षिक टर्न ओवर का विवरण **इस** कॉलम में भी भरें। 1 वित्तीय वर्ष 2021–22..... 2 वित्तीय वर्ष 2022–23..... 3 वित्तीय वर्ष 2023–24.....		
6.	**अनुभवः**–बोलीदाता/संवेदक द्वारा गत 5 वित्तीय वर्ष (2019–20, 2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24) में केन्द्र/राज्य के राजकीय विभाग/उपक्रम / स्वायत्तशाषी संस्थान/ परियोजनाए / बोर्ड / समिति / आयोग / शिक्षण संस्थान / बैंकों में न्यूनतम 20 सुरक्षा गार्ड (एक्स–सर्विसमैन) की सेवाएं न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। अनुभव प्रमाण पत्र एवं संतोषजनक कार्य पूर्ण करने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र की स्व–हस्ताक्षरित / सत्यापित प्रतिलिपि ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड करें।			अनुभव का विवरण इस कॉलम में भी भरें।		

7. संवेदक/बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेजों से संबंधित समस्त दस्तावेजों/पंजीयन प्रमाण पत्रों/अनुभव प्रमाण पत्रों/डिमाण्ड ड्राफ्ट इत्यादि की स्केन प्रतियां ई–प्रोक्यूरमेन्ट वेबसाईट पर अपलोड किया जावेगा। तकनीकी बोली से सम्बंधित कोई भी दस्तावेज/प्रमाण पत्र (डिमाण्ड ड्राफ्ट के अतिरिक्त) को व्यक्तिगत रूप से/डाक से स्वीकार नहीं किया जावेगा।
8. तकनीकी निविदा में पात्रता रखने वाले बोलीदाताओं की वित्तीय बोली खोली जाएंगी, जो बोलीदाता तकनीकी मूल्यांकन में सफल नहीं पाए जाएंगे, उनकी वित्तीय बोली नहीं खोली जाएगी।
9. फर्म का ब्लेक लिस्टेड नहीं होने का शपथ पत्र 100/– रुपए के नॉन–ज्यूडिशल स्टैंप पेपर पर प्रस्तुत करना होगा। इसके अभाव में निविदा कंसीडर नहीं की जाएगी (**प्रपत्र–'द'**)। **मूल शपथ पत्र तकनीकी निविदा के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले निविदा शुल्कों के साथ ही लिफाफें में प्रस्तुत करना होगा।**
10. संवेदक/बोलीदाता का राजस्थान में पंजीकृत/ब्रांच कार्यालय होना अनिवार्य है। पंजीकृत कार्यालय/शाखा का पूर्ण पता, दूरभाष नम्बर, फैक्स नम्बर एवं ई–मेल आईडी सहित होना अनिवार्य है।

मैं/हम राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा जारी की गई खुली बोली आमंत्रण सूचना में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न बोली दस्तावेजों में दी गई अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।

दिनांकः

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

बोलीदाताओं के लिये आवश्यक विनिर्देश व शर्तें

1. निविदा ऑनलाइन ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल www.eproc.rajasthan.gov.in पर भरी जाएगी। बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेजों से संबंधित समस्त दस्तावेजों/पंजीयन प्रमाण पत्रों/अनुभव प्रमाण पत्रों/डिमाण्ड ड्राफ्ट/फर्म का ब्लेक लिस्टेड नहीं होने का शपथ पत्र इत्यादि की स्केन प्रतियां ई–प्रोक्यूरमेन्ट वेबसाईट पर अपलोड किया जावेगा। तकनीकी बोली से सम्बंधित कोई भी दस्तावेज/प्रमाण पत्र (डिमाण्ड ड्राफ्ट के अतिरिक्त) को व्यक्तिगत रूप से/डाक से स्वीकार नहीं किया जावेगा।
2. बोलीदाता/संवेदक को तकनीकी निविदा के साथ निविदा शुल्क राशी रुपए 1180/– का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के नाम, धरोहर राशि रु 60,000/– का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के नाम एवं आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग फीस राशि रु. 500/– का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक मैनेजिंग डायरेक्टर, आर.आई.एस.एल. जयपुर के नाम जमा कराना होगा, इसके अभाव में निविदा कंसीडर नहीं की जाएगी।
3. फर्म का ब्लेक लिस्टेड नहीं होने का शपथ पत्र **प्रपत्र–'द'** में नॉन–ज्यूडिशल स्टैंप पेपर रुपए 100/– पर प्रस्तुत करना होगा। इसके अभाव में निविदा कंसीडर नहीं की जाएगी। **मूल शपथ पत्र तकनीकी निविदा के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले निविदा शुल्कों के साथ ही लिफाफें में प्रस्तुत करना होगा।**
4. **संविदा का क्षेत्रः–** विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग, माननीय कुलपति सचिवालय तथा तकनीकी शिक्षा भवन, जयपुर हेतु 14 सुरक्षा गार्ड की सेवाएं राजस्थान सरकार से पंजीकृत **पूर्व–सैनिक बहुउद्देशीय सहकारी समिति/संवेदक/फर्मों/एजेन्सियों** के माध्यम से जॉब बेसिस पर दर संविदा पर हायर करने हेतु अनुभवी फर्मों के माध्यम से ई–निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।
5. **बोली की विधि मान्यताः–** बोली खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
6. **संविदा की अवधिः–** राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार यह संविदा दो वर्ष के लिए प्रभावी होगी, जिसे पारस्परिक सहमति के आधार पर आगामी एक वर्ष के लिए ओर बढ़ाया जा सकेगा।
7. **सेवा का क्षेत्रः–** सुरक्षा कर्मियों को विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग (09), माननीय कुलपति सचिवालय (01) तथा तकनीकी शिक्षा भवन, जयपुर (04) पर सेवाएं देनी होगी। तकनीकी शिक्षा भवन, जयपुर पर सुरक्षा गार्ड को प्रतिदिन 24 घन्टे (तीन पारियों में) सेवाएं देनी होगी, इसलिए साप्ताहिक अवकाश के दिन भी सुरक्षा गार्ड की सेवाएं उपलब्ध करवानी होगी, जिनके पारिश्रमिक का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित दरों पर अतिरिक्त/पृथक से किया जावेगा। सुरक्षा गार्ड की संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्वि अथवा कमी की जा सकेगी।
8. **सुरक्षा गार्ड के लिए अनिवार्य योग्यताएंः–** सुरक्षा गार्ड निम्नांकित में से कम से कम कोई एक योग्यता आवश्यक रूप से धारित करता होः– पूर्व सैनिक/प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी/अनुभवी सुरक्षाकर्मी। सुरक्षाकर्मी को किसी राजकीय विभाग/स्वायत्तशासी संस्थान/सार्वजनिक बैंक/विश्वविद्यालय इत्यादि राजकीय संस्थान में सुरक्षाकर्मी के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष का सेवा अनुभव होना आवश्यक है। पूर्व सैनिक के लिए न्यूनतम अनुभव की बाध्यता लागू नहीं होगी।
9. **कार्य का समयः–** सुरक्षा गार्ड के लिए कार्य का समय परीक्षा नियन्त्रक द्वारा नियमानुसार आदेशित समय के अनुसार रहेगा। सामान्यतः कार्यालय समय अथवा काम के घन्टे प्रातः 9.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक रहेगा। तकनीकी शिक्षा भवन, जयपुर पर प्रतिदिन तीनों पारियों (साप्ताहिक अवकाश सहित) में सुरक्षाकर्मियों को पारी अनुसार ड्यूटी देनी होगी।
10. **अनुभवः–** बोलीदाता/संवेदक द्वारा गत 5 वित्तीय वर्ष (2019–20 से 2023–24) की अवधि के दौरान केन्द्र/राज्य के राजकीय विभाग/उपक्रम/स्वायत्त संस्थान/परियोजनाए/बोर्ड/समिति आयोग/शिक्षण संस्थान/बैंकों में न्यूनतम 20 सुरक्षा गार्ड की सेवाएं सफलतापूर्वक उपलब्ध करवाये जाने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। अनुभव प्रमाण पत्र एवं संतोषजनक कार्य पूर्ण करने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र की स्व–हस्ताक्षरित/सत्यापित प्रतिलिपि ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

11. **टर्न ओवरः**–बोलीदाता/संवेदक का गत तीन वित्तीय वर्षो 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 का वार्षिक औसत टर्न ओवर राशी रुपए 30.00 लाख से अधिक होना चाहिए। इस हेतु निविदादाता को सनदी लेखाकार से वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र **प्रपत्र–'स'** एवं अंकेक्षित/प्रमाणित दस्तावेज Balance Sheet and Profit and Loss A/c, Income-Expenditure A/c आदि अनिवार्य रूप से ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
12. **आयुः**– सुरक्षा गार्ड के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष से कम एवं अधिकतम आयु 60 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।
13. **सुरक्षा गार्ड का मानदेय/पारिश्रमिकः**–विश्वविद्यालय द्वारा सुरक्षा गार्ड को पारिश्रमिक एवं उस पर देय नियमानुसार ई.पी.एफ., ई.एस.आई., जी.एस.टी. एवं सर्विस चार्ज निम्नानुसार देय होगाः–

S. No.	Description of Men Power	Present Remuneration per Guard (in Rs.)	EPF @ 13.00%	ESI @ 3.25%	Service Charge	GST @ 18% (3+4+5)	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Security Guard (without Arm)	10,000/-					

14. श्रम कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा समय–समय पर कुशल श्रमिकों की मानदेय/पारिश्रमिक में की गयी वृद्वि/बढ़ोतरी के अनुपात में उक्त दरों में वृद्वि की जावेगी। सफल संवेदक द्वारा सुरक्षाकर्मियों को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक आवश्यक रूप से उनके बैंक खातें में भुगतान करना होगा।
15. **सुरक्षा गार्ड का भुगतानः**– सुरक्षा गार्ड के पारिश्रमिक का भुगतान उसकी संतोषजनक सेवा उपरान्त मासिक आधार पर विश्वविद्यालय नियगानुसार संविदाकृत फर्म को किया जावेगा। मानदेय/पारिश्रमिक में से नियमानुसार TDS एवं अन्य कटौतिया की जावेगी। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल दो प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जायेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
16. **संविदा की समाप्ति/रद्दीकरणः**– बोलीदाता फर्म/सुरक्षा गार्ड द्वारा निर्देशों/करार की शर्तो का उल्लंघन करने पर, गैर कानूनी क्रियाओं में संलिप्त होने इत्यादि की दशा में सम्बन्धित सुरक्षा गार्ड एवं फर्म के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी, आवश्यक होने पर संविदा को रद्द किया जा सकता है। सुरक्षा गार्ड के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना घटित होती है, तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संवेदक/फर्म की होगी। संविदा रद्दीकरण की दशा में सफल संवेदक की प्रतिभूति राशि जप्त करते हुए दूसरे प्रतिभागी बोलीदाता/ निविदादाता से अनुमोदित दरों एवं निविदा की शर्तों पर सुरक्षागार्ड की सेवाएं हायर करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
17. **अवकाशः**– सुरक्षा गार्ड को एक साप्ताहिक अवकाश देय होगा।
18. **अन्यः**–यह संविदा राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना, प्रपत्र, गाईडलाईन, आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगे।
19. सुरक्षा गार्ड के तैनाती स्थान पर किसी प्रकार की घटना जैसे चोरी, दुर्घटना इत्यादि घटित होती है, तो उसकी पुलिस थाने में प्राथमिक रिपोर्ट करवाने की जिम्मेदारी संवेदक/फर्म की होगी।
20. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
21. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
22. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक/बोलीदाता ही उक्त

प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ निर्धारित समय–सीमा में ऑन–लाईन प्रस्तुत की जायेगी।

23. संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित सुरक्षकर्मियों को देय पारिश्रमिक/मानदेय का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित सुरक्षकर्मियों के बैंक खातें में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। सुरक्षकर्मियों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत् संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
24. सुरक्षकर्मियों को संविदा अवधि के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर वृद्वि होने पर संवेदक/बोलीदाता को बढ़ी हुई आनुपातिक पारिश्रमिक दर की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
25. संवेदक/बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त सुरक्षाकर्मियों का नियमानुसार ई.पी.एफ. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित सुरक्षकर्मियों के पारिश्रमिक राशि से कटौती और संवेदक/बोलीदाता का अंशदान शामिल होगा। संवेदक/बोलीदाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे सुरक्षाकर्मियों के नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के अंशदान की राशि जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक/बोलीदाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
26. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त सुरक्षाकर्मियों का नियमानुसार ई.पी.एफ. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
27. संवेदक/बोलीदाता द्वारा वित्तीय बोली में अंकित दरों में वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि सम्मिलित होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
28. श्रम कल्याण विभाग/श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों का पालना करने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा निर्देशो आदि की पालना नहीं करने की स्थिति के उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक/बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
29. यदि संवेदक/बोलीदाता एवं कार्य पर लगाये गये सुरक्षकर्मियों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी। इसके लिये राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा उत्तरदायी नहीं होगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिये संवेदक/बोलीदाता स्वयं ही उत्तरदायी होगा।
30. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित सुरक्षकर्मियों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
31. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध में/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा करने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा, इसके लिये विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
32. यदि संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियमानुसार संवदिा अवधि के दौरान अनुमोदित दरों के अनुसार भुगतान सुरक्षाकर्मियों को नहीं किए जाने की शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त होती है तो इसके संबंध में इस कार्यालय द्वारा श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक/बोलीदाता को विवर्जित (Debar) कराने की कार्यवाही की जायेगी।

33. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी/फर्म के लिए नहीं सौपेगा या भाड़े (Sub-Let) पर नहीं देगा।
34. **अपीलः–** उक्त संविदा के सम्बन्ध में उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद का क्षेत्राधिकार कोटा रहेगा।
35. अवशेष शर्तें/सुसंगत प्रावधान राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 यथा वर्णितानुसार लागू होंगे।
36. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निजी सुरक्षा एजेंसियां (विनियमन) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जारी वैध लाइसेंस, जो 31 मार्च 2025 तक वैलिड हो, की सत्यापित प्रति बोली दस्तावेज के साथ अनिवार्य रूप से ऑन–लाईन प्रस्तुत की जायेगी।
37. बोलीदाता/संवेदक द्वारा राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि अनिवार्य रूप से बोली दस्तावेज के साथ ऑन–लाईन प्रस्तुत की जायेगी।
38. बोलीदाता/संवेदक वित्तीय बिड में समस्त प्रकार के देय लाभ जैसे पीएफ, ईएसआई, जीएसटी, सर्विस चार्ज इत्यादि सम्मिलित कर वित्तीय बोली प्रस्तुत करेगा।
39. बोलीदाता/संवेदक को निविदा के साथ अपने बैंक खाते का विवरण भी निम्नानुसार देना होगा –
    - बैंक खाते का नाम –
    - बैंक खाते की संख्या –
    - आईएफएससी कोड –
    - बैंक ब्रांच का विवरण –
    - बैंक खाते का प्रकार सेविंग या करंट अकाउंट –
40. सुरक्षा गार्डों के लिए आवास की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।
41. सेवा प्रदाता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए सुरक्षा गाडो का चाल–चलन, चरित्र अच्छा हो।
42. अनुमोदित सेवा प्रदाता एजेंसी को उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए सुरक्षा गार्डों की सूची उपलब्ध कराने होगी, जिसमें निम्नांकित सूचनाएं पूर्ण रूप से उपलब्ध भरनी होंगी।

क्रम संख्या	सुरक्षा प्रहरी या गार्ड का नाम	पूर्ण पता	मोबाइल नंबर	आधार कार्ड नंबर	बैंक का नाम व ब्रांच	बैंक खाता संख्या	नवीनतम फोटो

43. सभी सुरक्षा गार्डों का बैंक में खाता होना अनिवार्य है। किसी सुरक्षा गार्ड के अनुपस्थित रहने या उसका कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा उसके स्थान पर यथाशीघ्र दूसरे सुरक्षा गार्ड लगाना होगा।
44. कार्य आदेश की शर्तों एवं अनुबंध की शर्तो की पालना नहीं करने पर या संविदा के कार्यों को संतोषजनक रूप से पूरा न करने पर विश्वविद्यालय को सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति राशि को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से जब्त करने का अधिकार होगा, इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।
45. राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में निजी सुरक्षा एजेंसियां (विनियमन) अधिनियम, 2005, सैनिक कल्याण बोर्ड, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना, प्रपत्र, गाईडलाईन, आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगे।
46. सैनिक कल्याण बोर्ड/श्रम विभाग के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों का पालना करने का दायित्व संवेदक/

बोलीदाता का ही होगा, पालना नहीं करने की स्थिति के उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक/बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।

47. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध में/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा करने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा, इसके लिये विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
48. किसी भी सुरक्षा गार्ड द्वारा कार्य छोड़ने की स्थिति में सेवा प्रदाता एजेंसी को उसके स्थान पर दूसरा सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराना होगा। सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से लगाए गए सुरक्षा गार्डों को आवश्यकता अनुसार परिसर में विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी सुरक्षा पॉइंट पर लगाया जा सकता है।
49. यदि संवेदक/बोलीदाता द्वारा, संविदा अवधि के दौरान निर्धारित पारिश्रमिक दरों से भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त होती है, तो इसके संबंध में इस कार्यालय द्वारा राजस्थान सैनिक कल्याण बोर्ड/श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक/बोलीदाता को विवर्जित (Debar) कराने की कार्यवाही की जायेगी।
50. **मूल्यांकन की कसौटी** :– विस्तृत बोली में सफल/क्वालिफाइड बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर बिल का मूल्यांकन किया जायेगा।
51. **बोलियों का अपवर्जन** :– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।
52. बोली प्रतिभूति राशि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के नाम पर डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में जमा करायी जावेगी। सफल बोलीदता के करार निष्पादन पर और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर या उपापन प्रकिया के निरस्तीकरण पर शीघ्र ही बोली प्रतिभूति बोलीदाताओं को लौटा दी जावेगी। बोली प्रतिभूति को निम्नलिखित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा :–
    (क) जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमे रूपान्तरण (Modification) करता है।
    (ख) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है।
    (ग) जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।
    (घ) जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक सप्लाई प्रारम्भ नहीं करता।
    (ड़) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।
53. यदि किसी बोलीदाता पर कोई वैधानिक अधिनियम लागू नहीं होता है और वह इस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करता है, तो उसकी बोली नियमानुसार मान्य की जा सकेगी। यद्यपि निजी सुरक्षा एजेंसियां (विनियमन) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जारी वैध लाइसेंस अनिवार्य होगा।
54. बोली के संबंध में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के समस्त प्रावधान लागू रहेंगे।
55. **करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security):**
    (अ) बोली आमन्त्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश जारी होने की दिनांक से अधिकतम 7 दिवस में सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की 5 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के नाम पर जमा करानी होगी एवं राशि 500 रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।
    (ब) सफल बोली लगाने वाले की दशा, में बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है, यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि दे देता है।

(स) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

56. **कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Work Performance Security Deposit) :** कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा :–

(क) जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा सप्लाई संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों मे युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

57. **परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages):** परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्वि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर ही जावेगी।

(क) विहित सुपुर्दगी की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिये 2.50 प्रतिशत

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से कम अवधि के लिए 5.00 प्रतिशत

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई अवधि से कम अवधि के लिए 7.50 प्रतिशत

(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10.00 प्रतिशत (ड़) विलम्ब की अवधि में आधा दिन से कम भाग को छोड दिया जायेगा।।

(च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

(छ) यदि बोलीदाता किन्ही बाधाओं के कारण संविदा अंतर्गत सेवा की सप्लाई को पूरा करने के लिये समय में वृद्वि करना चाहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है किन्तु वह उसके लिए आवेदन बाधा के गठित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न की सेवा सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(ज) यदि सेवा की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्वि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जायेगी।

57. निर्धारित समय एवं बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

58. बोली के निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो अधोहस्ताक्षकरर्ता के सम्पर्क किया जा सकता है।

59. विश्वविद्यालय द्वारा संवेदक को कार्योदेश जारी करने के पश्चात कार्योदेश की प्रति श्रम विभाग को सम्बंधित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी। बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी/फर्म के लिए नहीं सौपेगा या भाड़े (Sub-Let) पर नहीं देगा।

60. उक्त संविदा के सम्बन्ध में उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद का क्षेत्राधिकार कोटा रहेगा।

61. आयकर एवं जीएसटी नियमों के अनुसार बिलों पर टी.डी.एस. की कटौती की जायेगी।

62. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

63. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 लागू होंगे।

कुलसचिव
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

मैं/हम राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा जारी की गई खुली बोली आमंत्रण सूचना में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न बोली दस्तावेजों में दी गई अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

दिनांक:

Rajasthan Technical University, Kota
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
Rawatbhata Road, Akelgarh Kota – 324010
Ph No. 0744-2473003, Fax No. 0744-2473003, E-mail ID: gad@rtu.ac.in

NIB No.....01...../2025-26

वित्तीय बोली प्रपत्र–(ब)

उपापन की विषय वस्तु : सुरक्षा गार्ड (हथियार रहित) की सेवायें हायर करने की दर संविदा हेतु दरें ई–प्रोक्योरमेन्ट वेबसाईट पर अनिवार्यतः ऑनलाईन प्रस्तुत की जायेगी।

क्र. सं	सेवा का नाम	सुरक्षा गार्ड (हथियार रहित) देय परिश्रमिक जो कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक दरों से कम नहीं होगी। मय संख्या				बोलीदाता द्वारा सुरक्षा गॉर्ड हेतु चाही गयी न्यूनतम परिश्रमिक दर	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रतिमाह प्रति ईकाई रू)	वस्तु एवं सेवा कर	कुल राशि रू प्रति ईकाई
		सुरक्षा गार्ड की श्रेणी	न्यूनतम परिश्रमिक (प्रतिमाह प्रति ईकाई रू)	सुरक्षा गार्ड की संख्या	राशि (प्रतिमाह प्रति ईकाई रू)						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	सुरक्षा गार्ड (हथियार रहित)	उच्च कुशल एवं अनुभवी	10000	14	10000		13 (नियोक्ता)	3.25 (नियोक्ता)			

1. उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ संख्या 1 से 5 एवं 7 से 8 तक की पूर्तियां इस कार्यालय द्वारा की जाकर बोली दस्तावेजों में ही अंकित कर उपलब्ध कराई गई है तथा केवल स्तम्भ संख्या 6, 9, 10 एवं 11 में ही बोलीदाता द्वारा ई–प्रोक्योरमेन्ट वेबसाईट पर उपलब्ध BOQ (Price Bid) में समुचित प्रतिष्टियां अंकित की जायेगी।

2. बोलीदाता द्वारा ऑफलाईन प्रस्तुत की गई वित्तीय बोली स्वीकृत नहीं की जायेगी।

3. संवेदक/बोलीदाता को ई.पी.एफ., ई.एस.आई. एवं वस्तु एवं सेवाकर राशि (GST) अतिरिक्त रूप से नियमानुसार देय होगी।

4. **वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार द्वारा दिनांक 06.01.2023, 20.06.2023 और 17.01.2024 से जारी कार्यालय ज्ञापनों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सेवा प्रदाता का न्यूनतम सर्विस चार्ज 3.85% से 7% की सीमा में होगा, 3.85% प्रतिशत से कम सर्विस चार्ज स्वीकार्य नहीं होगा, इससे कम अंकित करने पर निविदा निरस्तनीय होगी।**

5. **इसके अलावा, यदि रेस्पोंसिव बोलीदाताओं द्वारा समान दरें उद्धृत की जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में सफल बोलीदाता का चयन का निर्णय क्रय समिति की बैठक में बोलीदाताओं की उपस्थिति में लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा, जो लॉटरी निकालने के समय उपस्थित होना चाहते हैं, जिसके लिए संबंधित बोलीदाताओं को निविदा दस्तावेज में उल्लिखित ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। लॉटरी का निर्णय सभी बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा।**

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

Rajasthan Technical University, Kota
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
Rawatbhata Road, Akelgarh Kota – 324010
Ph No.-0744-2473003, Fax No. 0744-2473003, E-mail ID: gad@rtu.ac.in

प्रपत्र 'स'

वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि फर्म मैसर्स .....का विगत तीन वित्तीय वर्षो का टर्न ओवर निम्नानुसार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र सत्य व सही है। फर्म की विगत तीन वर्ष की Audited Balance Sheet & Profit and Loss A/C संलग्न है।

क.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (राशि लाखों में)
1.	2021–22	
2.	2022–23	
3.	2023–24	
	कुल टर्न ओवर	
	औसत टर्न ओवर	

दिनांक

अंकेक्षक/सनदी लेखाकार का
नाम मय हस्ताक्षर एवं पंजीकरण संख्या

Rajasthan Technical University, Kota
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
Rawatbhata Road, Akelgarh Kota – 324010
Ph No.-0744-2473003, Fax No. 0744-2473003, E-mail ID: gad@rtu.ac.in

प्रपत्र–'द'

फर्म का ब्लेक लिस्टेड नहीं होने का शपथ पत्र 100/– रुपए के नॉन–ज्यूडिशल स्टैंप पेपर पर निम्नानुसार प्रस्तुत करना होगा। इसके अभाव में निविदा कंसीडर नहीं की जाएगी।

(on NJS Rs. 100/- dully attested by Notary)

शपथ पत्र

मैं/हम.....निवासी.....
.....फर्म मैसर्स .....
..... के प्रोपराईटर/पार्टनर है,
जो कि शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि:-

1. यह है कि मैं/हम उक्त पत्ते के मूल निवासी है ।
2. मेरी/हमारी फर्म /संस्था किसी भी विभाग राजकीय/सार्वजनिक विभाग/उपकम से काली सूची में नहीं है ।
3. मेरी/हमारी फर्म के विरूद्ध कोई राजकीय बकाया नहीं है तथा मेरी फर्म/संस्था निविदा की शर्तों का पूर्णतया पालन करेगी ।
4. मेरी /हमारी फर्म द्वारा नियमों व शर्तों के उल्लघंन करने पर मेरी/हमारी फर्म पेनल्टी की मागी होगी ।

दिनांक

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

Annexure A: Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest.

Any person participating in a procurement process shall-

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behaviour to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
(d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
(e) Not indulge in any correction including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
(f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
(g) Disclose conflict of interest, if any; and
(h) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.
A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to;
a. Have controlling partners/shareholders in common; or
b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. Have the same legal representative for purpose of the Bid; or
d. Have the relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access have to information about or influence on the bid of another Bidder, or influence the decision of the procuring Entity regarding the bidding process; or
e. The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specification of the Goods, Works or Service that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Date:
Place:

Signature of bidder
Name:
Designation:
Address:

Rajasthan Technical University, Kota
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
Rawatbhata Road, Akelgarh Kota – 324010
Ph No. 0744-2473003, Fax No. 0744-2473003, E-mail ID: gad@rtu.ac.in

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .....for procurement of .....in response to their Notice Inviting Bids No.....Dated .....I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Biding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the union and the State Government or any local authority as specification in the Bidding Document;
3. I/We have are not insolvent in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administrated by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conducted or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceeding;
5. I/We do not have a conflict of interest as specification in the Act, Rules and the bidding Document, which material affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name:
Designation:
Address:

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and the address of the first Appellate Authority is **Hon'ble Vice-Chancellor, RTU Kota.** The designation and the address of the Second Appellate Authority is **Secretary, Technical Education, Government of Rajasthan, Jaipur.**

(1) Filing an appeal

If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the act or the rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Providing that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filled only by a Bidder who has participated in procurement proceeding:

Providing further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filled only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidder Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) Determination of need of procurement;
(b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) Cancellation of a procurement process;
(e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for Filling Appeal

(a) Fee for first appeal shall be two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non refundable.
(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be upon filing of appeal, shall issued notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date of fix hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be shall,-

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Date:
Place:

Signature of bidder
Name:
Designation:
Address:

Rajasthan Technical University, Kota
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
Rawatbhata Road, Akelgarh Kota – 324010
Ph No.-0744-2473003, Fax No. 0744-2473003, E-mail ID: gad@rtu.ac.in

Annexure D: Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, that Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quality, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion in the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. If there is a error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case in the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accepted the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Deceleration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to very Quantities.**

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit price or other terms & conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fail to do so, the Procurement Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. **Dividing quantities among one than more Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Date:
Place:

Signature of bidder
Name:
Designation:
Address:

Validate Print Help

Tender Inviting Authority: REGISTRAR, RTU KOTA

Name of Work: ANNUAL RATE CONTRACT FOR HIRING OF SECURITY GUARDS (WITHOUT ARMED) FOR EXAM DEPARTMENT

Contract No: NIB NO. 01/2025-26

Name of the Bidder/ Bidding Firm / Company :	

PRICE SCHEDULE

(DOMESTIC TENDERS - RATES ARE TO GIVEN IN RUPEES (INR) ONLY)

(This BOQ template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be uploaded after filling the relevant columns, else the bidder is liable to be rejected for this tender. Bidders are allowed to enter the Bidder Name and Values only)

NUMBER #	TEXT #	NUMBER	NUMBER #	NUMBER	NUMBER	NUMBER	NUMBER	NUMBER	NUMBER #	NUMBER #	NUMBER #	TEXT #
Sl. No.	Item Description	MINIMUM WAGES PER HEAD PER MONTH AS FIXED BY THE UNIVERSITY	BASIC WAGES RATE PER HEAD PER MONTH TO BE FILLED BY BIDDER IN RS.	EPF RATE IN % ON BASIC RATE	ESI RATE IN % ON BASIC RATE	Total of 5 and calculated amount of 6 & 7	SERVICE CHARGE PER HEAD AND PER MONTH TO BE FILLED BY BIDDER IN (RS.) (Range of Minimum Service Charge @ 3.85% and Maximum 7% of Basic Wages)	TOTAL AMOUNT OF BASIC RATE+EPF+ESI RENT+SC)	GST IN PERCENTAGE TO BE FILLED BY BIDDER (ONLY FIGURE WITHOUT % SIGN)	TOTAL AMOUNT Without Taxes Rs. P	TOTAL AMOUNT With Taxes Rs. P	TOTAL AMOUNT In Words
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	HIRING OF SECURITY GUARDS											
1.01	HIRING OF SECURITY GUARDS (WITHOUT ARMED)	10000		13.00	3.25	0.00		0.00		0.00	0.00	INR Zero Only
Total in Figures										0.00	0.00	INR Zero Only

Quoted Rate in Words	INR Zero Only